रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062022-236331
CG-DL-E-04062022-236331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
No. 394] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

Image Code

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

सा.का.नि. 415(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 10क की उप धारा (2) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक के साथ पठित धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खोज व्यय प्रतिपूर्ति नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;

(ख) "दावा" से आवेदक द्वारा अनुसूची I में दिए गए प्रारूप में खोज व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन अभिप्रेत है;

(ग) "दावेदार" से दावे का आवेदक जो भूमीक्षण अनुज्ञापत्र और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक था और अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टे का अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए अर्जित किया था और जिसका उक्त अधिकार समाप्त हो गया था; और इसमें ऐसे

भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक, यथास्थिति, सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विधिक प्रतिनिधि, विधिपूर्ण समनुदेशिती, विधिपूर्ण अंतरिती या उत्तराधिकारी सम्मिलित है, अभिप्रेत हैं;

(घ) "व्यपगत होने की तारीख" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख (अर्थात, 28 मार्च, 2021), जब अधिनियम की धारा 10क की उप धारा (2) के खंड (ख) के अधीन, यथास्थिति, खनन पट्टे के बाद पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक का अधिकार उक्त खंड के दूसरे परंतुक के अधीन समाप्त हो गया था अभिप्रेत है।

(ङ) "प्रारूप " से इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में दिए गए प्रारूप अभिप्रेत हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किंतु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों में है।

3. प्रयोज्यता. — (1) ये नियम केवल ऐसे रियायत धारकों या आवेदकों पर लागू होंगे, जिन्होंने अधिनियम की धारा 10क की उप धारा (2) के खंड(ख) के अधीन, यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टा अभिप्राप्त करने के लिए अधिकार उपार्जित था और जिसका उक्त अधिकार व्यपगत होने की तारीख को समाप्त हो गया है।

अध्याय 2

दावा प्रक्रिया

4. खोज व्यय के लिए दावा —(1) कोई भी दावेदार, राज्य सरकार को भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को सूचित करते हुए इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन नियमों की अनुसूची I में दिए गए प्रारूप में दावा प्रस्तुत कर सकता है:

परंतु ऐसे मामलों में जहां अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अवधि व्यपगत होने की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई थी —

(क) दावेदार अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति या इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी बाद में हो, दावा प्रस्तुत कर सकता है; या

(ख) दावेदार राज्य सरकार को ऐसे अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को अभ्यर्पित करने के पश्चात् व्यपगत होने की तारीख तक, ऐसे अभ्यर्पण या इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, अपने द्वारा उपगत व्यय का दावा प्रस्तुत कर सकता है।

(2) दावेदार अपने दावे के आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करेगा, अर्थात्:-

(क) प्रारंभ किए गए खोज कार्यकलापों के लिए उपगत संदाय या व्यय को सिद्ध करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, जैसे बैंक विवरण, डिस्चार्ज संदाय पर्ची, निपटान की पावती के साथ वाउचर या बीजक, या संदाय की रसीदों या ऐसे अन्य दस्तावेज; और

(ख) चार्टर्ड एकाउंटेंट का इस संबंध में प्रमाण पत्र कि दावा उसके द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित किया गया है।

(3) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए दावों के साथ आगे नहीं बढ़ेगी:

परंतु यदि देरी के कारण दावेदार के नियंत्रण से परे थे तो राज्य सरकार दावा दायर करने के लिए एक और वर्ष की अवधि की अनुमति दे सकती है।

5. राज्य सरकार द्वारा सत्यापन—(1) दावे का आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य सरकार निम्नलिखित का सत्यापन करेगी, अर्थात्:—

(क) दावेदार भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का धारक था जिसने अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (2) के खंड(ख) के अधीन, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् खनन पट्टा या खनन पट्टा प्राप्त करने का अधिकार अर्जित किया था और जिसका उक्त अधिकार व्यपगत होने की तारीख को समाप्त हो गया है; या वह भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के धारक का, यथास्थिति, सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विधिक प्रतिनिधि, विधिपूर्ण समनुदेशिती, विधिपूर्ण अंतरिती या उत्तराधिकारी है; और

(ख) दावेदार ने राज्य सरकार की संतुष्टि के लिए, -

i) केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अधिकथित मापदंडों के अनुसार ऐसी भूमि में खनिज सामग्री की विद्यमानता को स्थापित करने हेतु, यथास्थिति, भूमीक्षण संक्रियाएं या पूर्वेक्षण संक्रियाएं की हैं;

ii) भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है;

iii) अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपात्र नहीं होना; और

iv) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुदान के लिए भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, या ऐसी और छह मास से अनधिक की अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है, आवेदन करने में विफल नहीं हुआ हो।

परंतु ऐसे मामले में जहां अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अवधि व्यपगत होने की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई थी और दावेदार ने नियम 4 के उप नियम (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् दावा प्रस्तुत किया है, खंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्त लागू नहीं होगी:

परंतु यदि अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अवधि व्यपगत होने की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुई थी और दावेदार ने नियम 4 के उप नियम (1) के परंतुक के खंड (ख) के अधीन व्यपगत होने की तारीख तक उसके द्वारा उपगत व्यय का दावा प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार सत्यापित करेगी कि दावेदार द्वारा खंड (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया था, जहां तक व्यावहारिक हों, और खंड (iv) में विनिर्दिष्ट शर्त लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) के अनुसार सम्यक सत्यापन के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि दावेदार को खनन पट्टा के बाद पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, यथास्थिति, अभिप्राप्त करने का अधिकार था, व्यपगत होने की तारीख से पहले, राज्य सरकार दावे को इसके अनुबंधों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति को अग्रेषित कर सकती है।

6. प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति - राज्य स्तर पर एक प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष के रूप में, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव या राज्य के खनन और भूविज्ञान के प्रभारी सचिव;

(ख) उप महानिदेशक (राज्य इकाई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण;

(ग) संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो;

(घ) राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रतिनिधि;

(ड.) राज्य सरकार के निदेशालय या खनन और भूविज्ञान विभाग में निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो), सदस्य सचिव के रूप में; और

(च) अपर निदेशक, खोज और अनुसंधान के लिए परमाणु खनिज निदेशालय, परमाणु खनिजों के मामले में सहयोजित किया जाएगा।

7. प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति द्वारा दावे का निर्धारण—(1) नियम 5 के अधीन राज्य सरकार से दावा प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति व्यपगत होने की तारीख को तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार यथास्थिति अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, किए गए कार्य की परीक्षा करेगी।

(2) परीक्षा में यथास्थिति अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार किए गए कार्य का तकनीकी मूल्यांकन, अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियम के अनुसार किए गए भूमीक्षण या पूर्वेक्षण संक्रियाओं के अनुक्रम के दौरान; इस प्रकार किए गए कार्य को करने की आवश्यकता; प्रत्येक मद की तर्कसंगतता और लागू विद्यमान नियमों का पालन भी सम्मिलित होगा ।

(3) प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति, दावेदार द्वारा खोज क्रियाकलापों पर उपगत पर वास्तविक व्यय के आधार पर प्रतिपूर्ति रकम का निर्धारण करेगी और उक्त प्रतिपूर्ति रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे प्राधिकरणों के प्रभारों की अनुमोदित अनुसूची में दी गई रकम से अधिक नहीं होगी:

परन्तु प्रभारों की अनुसूची के अधीन नहीं आने वाले विशेष अध्ययनों जैसे हवाई भू भौतिकीय सर्वेक्षण या इसी तरह के लिए प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या खनिज खोज निगम लिमिटेड या किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा किए गए समान कार्य के आधार पर उचित प्रतिपूर्ति की सिफारिश कर सकती है।

(4) प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति, यदि अपेक्षित हो, दावेदार से अपने दावे के संबंध में स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है और समिति द्वारा अपने निर्धारण में दावा की गई रकम को कम या अस्वीकार किए जाने की स्थिति में दावेदार को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देगी।

(5) समिति द्वारा निर्धारित रकम में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से, यथास्थिति, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख तक छह प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज जोड़ा जाएगा।

6) प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति उपधारा (5) के अधीन संगणित ब्याज सहित यथा निर्धारित दावेदार को देय प्रतिपूर्ति रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए अपनी निर्धारण रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

अध्याय 3

आपूर्ति और प्रतिपूर्ति का भुगतान

8. प्रतिपूर्ति—(1) प्रतिपूर्ति मूल्यांकन समिति से निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार उस पर अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट को अधिनियम की धारा 9ग के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास को अग्रेषित करेगी।

(2) नियम 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दावे के सत्यापन, प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति द्वारा नियम 7 के अधीन निर्धारण और राज्य सरकार द्वारा उपनियम (1) के अधीन अनुमोदित निर्धारण रिपोर्ट को न्यास को अग्रेषित करने की पूरी प्रक्रिया नियम 4 के अधीन प्राप्त दावा के तीन मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की तकनीकी-सह-लागत समिति यह सत्यापित करेगी कि प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति रकम नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार है या नहीं और जो अपेक्षित हो ऐसी उपांतरण के साथ देय प्रतिपूर्ति रकम को अंतिम रूप देगी।

परन्तु नियम 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सत्यापित दावेदार की पात्रता अंतिम होगी।

(4) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास, ऐसे सत्यापन के पश्चात, नियम 7 के उप-नियम (5) के अनुसार संगठित न्यास के साथ प्रतिपूर्ति की जाने वाली अंतिम रकम को, न्यास के पास निधि की उपलब्धता के अध्याधीन राज्य सरकार से निर्धारण रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन मास के भीतर राज्य सरकार के निदेशालय या खनन और भूविज्ञान विभाग में निदेशक (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के पक्ष में जारी कर सकता है।

(5) राज्य सरकार के निदेशालय या खनन और भूविज्ञान विभाग में निदेशक (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास से रकम की प्राप्ति के एक मास के भीतर दावेदार को अंतिम रकम जारी करेगा।

9. प्रतिपूर्ति— (1) किसी क्षेत्र के संबंध में किसी दावे के लम्बित होते हुए भी राज्य सरकार अधिनियम की धारा 10क की उप-धारा (घ) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे क्षेत्र के संबंध में खनिज रियायतें प्रदान करने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगी।

(2) अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन आने वाले क्षेत्र के संबंध में समेकित अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे की नीलामी के मामले में जहां—

(i) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी की जाती है; और

(ii) निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी की गई है किंतु बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात पड़ रही है,

निम्नलिखित शर्तें निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नीलामी शर्तों का भाग मानी जाएंगी, अर्थात् :—

(क) अधिमानित बोलीदाता प्रतिपूर्ति की गई रकम या निष्पादन व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि को अग्रिम भुगतान की पहली किस्त के साथ जमा करेगा या, यथास्थिति, राज्य सरकार को निष्पादन सुरक्षा, यदि राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है; या

(ख) अधिमानित बोलीदाता राज्य सरकार को राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा इसे अंतिम रूप देने के एक मास के भीतर राज्य सरकार के साथ खोज व्यय की प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम जमा करने के लिए लिखित रूप में एक वचनबद्धता देगा, यदि रकम को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है ;

(ग) अधिमानित बोलीदाता लिखित रूप में एक अतिरिक्त रकम खोज व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्धता भी देगा, जिसे पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा उपांतरित या संशोधित किया जा सकता है; और

(3) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, राज्य सरकार अग्रिम संदाय या निष्पादन सुरक्षा की पहली किस्त को जब्त करने, यथास्थिति और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अनुसार कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई करेगी।

परंतु परमाणु खनिजों के संबंध में जहां ऐसे खनिज की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क में केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे अधिक है, उप-नियम (2) में उल्लिखित शर्तों को खनिज रियायत देने के लिए पूर्व-शर्तों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट अधिमानित बोलीदाता से खोज व्यय की प्रतिपूर्ति या प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम प्राप्त होने पर, राज्य सरकार पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने से पहले या इसकी प्राप्ति होने के एक मास के भीतर, जो भी बाद में हो, इसे राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि में जमा करेगी।

(5) यदि नीलामी समाप्त हो गई है या इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पहले बोली जमा करने की अंतिम तारीख समाप्त हो गई है, तो राज्य सरकार खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 13 के उपनियम (2) के अधीन पट्टेदार द्वारा जमा की गई लागू रकम (नीलामी प्रीमियम) से राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि में इन नियमों के अधीन प्रतिपूर्ति की गई या प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम को जमा करेगी।

(6) राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास इन नियमों के अधीन प्रतिपूर्ति के वितरण के लिए खान मंत्रालय में केंद्रीय सरकार से अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुरोध कर सकता है।

(7) राज्य सरकार अधिमानित बोलीदाता को खोज के अन्य सबूतों जैसे संरक्षित कोर, लिथोग्राफ, कोर फोटोग्राफ, ड्रिल लॉग-बुक और इसी तरह के, यदि उपलब्ध हो या क्षेत्र की कोई भूवैज्ञानिक अध्ययन रिपोर्ट और दावेदार द्वारा प्रस्तुत ऐसे अन्य दस्तावेज के साथ रिपोर्ट सौंपेगी ।

10. पुनरीक्षण- राज्य सरकार या उसके अधीन किसी प्राधिकरण या प्रतिपूर्ति निर्धारण समिति या राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की तकनीकी-सह-लागत समिति द्वारा किए गए निर्धारण, सत्यापन या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 30 के अधीन पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

अनुसूची-I

दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

[नियम 4(1) देखें]

	भाग-क **सामान्य सूचना**	
क्र. सं.	**मदों के ब्यौरे**	**विशिष्टियां**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	खनिज रियायत का प्रकार: भूमीक्षण अनुज्ञापत्र / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति	
2क	खनिज रियायत धारक का नाम	
	दावेदार की विधिक प्रास्थिति (मुख्तारनामा/शपथपत्र/रजिस्ट्रीकृत विलेख)	
	(क) पत्राचार का पता:	
	(ख) दूरभाष नम्बर (कार्यालय):	
	(ग) फैक्स नम्बर (कार्यालय):	

	(घ) मोबाईल नम्बर	
	(ङ) दूरभाष नम्बर. (आवास):	
	(च) ई-मेल आईडी:	
2ख	इकाई विवरण	
	नाम	
	पैन नम्बर	
	आईटीआर ब्यौरे (खोज की अवधि के लिए)	
	आधार नम्बर	
	जीएसटी/ सेवा कर नम्बर	
	टिन नम्बर	
	पता	
	बैंक ब्यौरे	
3क	खनिज रियायत के ब्यौरे	
	(क) राज्य:	
	(ख) जिला:	
	(ग) तालुका:	
	(घ) गांव:	
	ब्लॉक का नाम	
	क्षेत्रफल हैक्टेयर में.	
	भारत स्थालाकृतिक सर्वेक्षण सं.:	
	खनिज	
	ब्लॉक की स्थिति (सभी कोने बिंदुओं का अक्षांश देशांतर, क, ख, ग, घ आदि)	क) अक्षांश--- देशांतर ---; ख) अक्षांश --- देशांतर ---;
		ग) अक्षांश--- देशांतर ---; घ) अक्षांश.--- देशांतर ---; ङ) अक्षांश. ----, देशांतर ---
3क	प्रशासनिक ब्यौरे	
	अनुदान के लिए आदेश जारी करने या आशय पत्र जारी करने की तारीख	
	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र /पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निष्पादन की तारीख	
	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र /पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अवधि	प्रेषक:
		प्रेषित:
	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की तारीख यदि कोई हो और अवधि	प्रेषक:
		प्रेषित:
	अंतिम भूमीक्षण अनुज्ञापत्र / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख	
	श्रेणी और टन भार के साथ	

IndiaCode

	अनुमानित संसाधन	
	संसाधन की श्रेणी (यूएनएफसी के अनुसार)	
	अभिकरण द्वारा सिफारिश	
	क्या भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुदान के लिए एक आवेदन, यथास्थिति, 12 जनवरी, 2015 से पहले प्रस्तुत किया गया है {धारा 10क(2)(ख)के उप खंड (i) का अनुपालन} टिप्पणियां	
	प्रिंट किया गया	
	द्वारा प्रिंट किया गया	
	द्वारा तैयार किया:	द्वारा जांचा गया: द्वारा अनुमोदित किया:
		नाम और हस्ताक्षर

IndiaCode

टिप्पण: भूमीक्षण अनुज्ञापत्र के अधीन की गई भूमीक्षण संक्रियाओं और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए अलग भाग-क उपबंधित करें।

भाग- ख

खोज कार्यकलापों का विवरण

क्र सं.	**कार्यकलाप**	**इकाई**	**प्रस्तावित**	**प्राप्त किया गया**	**इकाई लागत**	**दस्तावेजी प्रमाण के साथ किया गया वास्तविक व्यय**	**आरपी/पीएल* रिपोर्ट में संदर्भ/पृष्ठ संख्या**	**टिप्पणियां**
1	हवाई भू-भौतिकीय अध्ययन							
	(क) हवाई गुरूत्व							
	(ख) हवाई चुंबकीय							
	(ग) हवाई चुंबकीय (उच्च वियोजन)							
	(घ) हवाई विद्युत-चुंबकीय (एईएम)							
2	सुदूर संवेदन अध्ययन							
	(क)							

क्र सं.	कार्यकलाप	इकाई	प्रस्तावित	प्राप्त किया गया	इकाई लागत	दस्तावेजी प्रमाण के साथ किया गया वास्तविक व्यय	आरपी/पीएल* रिपोर्ट में संदर्भ/पृष्ठ संख्या	टिप्पणियां
	(ख)							
	(ग)							
	(घ)							
3	भूकंपीय सर्वेक्षण्							
4	2डी भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण							
5	3डी भूकंपीय परावर्तन सर्वेक्षण							
6	डीएसआरएस सर्वेक्षण							
7	जीपीआर सर्वेक्षण							
8	स्थलाकृतिक सर्वेक्षण	माप:						
		कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी/हेक्टेयर)						
9	भूवैज्ञानिक मानचित्रण	माप:						
		कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी/हेक्टेयर)						
10	सतह / भू-रासायनिक नमूना	कवर किया गया क्षेत्र (वर्ग किमी/हेक्टेयर)						
	(क) आधार-शैल							
	(ख) मृदा							
	(ग) धारा तलछट							
	(घ) जलांतराल नमूना							
	(ङ) अन्य कोई							
11	गर्तन	सं.:						
		उत्खनन: सीबीएम						
		नमूना						
12	खाई खोदना	सं.:						
		उत्खनन: सीबीएम						
		नमूना						
13	सतत भू-भौतिकीय कार्य							

IndiaCode

क्र सं.	कार्यकलाप	इकाई	प्रस्तावित	प्राप्त किया गया	इकाई लागत	दस्तावेजी प्रमाण के साथ किया गया वास्तविक व्यय	आरपी/पीएल* रिपोर्ट में संदर्भ/पृष्ठ संख्या	टिप्पणियां
	सर्वेक्षण का प्रकार							
	(क) गुरुत्वाकर्षण पद्धति							
	(ख) चुंबकीय पद्धति							
	(ग) स्व-संभावित पद्धति							
	(घ) प्रेरित ध्रुवीकरण पद्धति							
	(ङ) विद्युत प्रतिरोधकता पद्धति							
	(च) प्रतिरोधकता रूपरेखा/प्रतिबिंब							
	(छ) विद्युत चुंबकीय सर्वेक्षण							
	(ज) मैग्नेटो-टेलुरिक (एमटी) सर्वेक्षण							
	(I) अन्य कोई							
14	वेधन							
	(क) कोर	एमटी						
	(ख) गैर कोर	एमटी						
15	भूभौतिकीय लॉगिंग							
	(क) आधार लॉग							
	(ख) एसपी							
	(ग) प्रतिरोधकता							
	(घ) दोहरी घनत्व							
	(ङ) गामा-गामा							
	(च) न्यूट्रॉन							
	(छ) केलीपर							
	(ज) प्राकृतिक गामा							
	(झ) एसपीआर							
	(ञ) केंद्रित प्रतिरोधकता							
	(ट) श्रवण संबंधी							
	(ठ) तापमान और द्रव चालन							
	(ड) विचलन							
	(ढ) एचआर ध्वनिक टेलीव्यूअर (वेध-छिद्र में)							
	(ण) वर्णक्रमीय गामा (वेध-छिद्र में)							
	(त) आईपी (वेध-छिद्र में)							
	(थ) चुंबकीय संवेदनशीलता (वेध-छिद्र में)							

IndiaCode

क्र सं.	कार्यकलाप	इकाई	प्रस्तावित	प्राप्त किया गया	इकाई लागत	दस्तावेजी प्रमाण के साथ किया गया वास्तविक व्यय	आरपी/पीएल* रिपोर्ट में संदर्भ/पृष्ठ संख्या	टिप्पणियां
	(द) उथला होल तापमान							
	(ध) वेध-छिद्र भू-भौतिकीय लॉगिंग							
16	रासायनिक विश्लेषण							
	(क) वेट रासायनिक विश्लेषण							
	(ख) एएएस पद्धति							
	(ग) आईसीपी-एमएस/ओईएस पद्धति							
	(छ) एक्स आर एफ तकनीकी							
	(ज) कोई अन्य पद्धति							
17	प्रस्तर विज्ञान-विषयक अध्ययन							
	(क) चट्टान का पतला खंड							
	(ख) परिष्कृत अनुभाग							
	(ग) तरल द्वारा भारी खनिज पृथक्करण							
	(घ)धारा तलछट के नमूनों से भारी खनिजों का पृथक्करण							
	(ड.) समुद्र तट रेत खनिज (बीएसएम) नमूने का खनिज अध्ययन							
	(च) कोई अन्य							
18	ईपीएमए / एसईएम अध्ययन							
19	खनिजों की पहचान के लिए एक्सआरडी विश्लेषण							
20	सज्जीकरण अध्ययन के लिए नमूना							
21	भू-तकनीकी अध्ययन							
22	रिपोर्ट तैयार करना							
23	मात्रा, श्रेणी और प्रवर्ग के साथ स्थापित संसाधन, यदि कोई हो							
24	यदि खनन पट्टा प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया था तो जी2 स्तर के अधीन स्थापित संसाधन और भंडार स्थापित करने वाली पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है या नहीं।							

IndiaCode

क्र सं.	कार्यकलाप	इकाई	प्रस्तावित	प्राप्त किया गया	इकाई लागत	दस्तावेजी प्रमाण के साथ किया गया वास्तविक व्यय	आरपी/पीएल* रिपोर्ट में संदर्भ/पृष्ठ संख्या	टिप्पणियां
25	कोई अन्य जिसे धारक विनिर्दिष्ट करना चाहे							
	द्वारा तैयार :			द्वारा जाँचा गया :			द्वारा अनुमोदित:	

टिप्पण: भूमीक्षण अनुज्ञापत्र के अधीन की गई भूमीक्षण संक्रियाओं और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अधीन की गई पूर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए अलग भाग-ख प्रदान करें।

भाग- ग

अनुपालन ब्यौरे

1. धारा 10क (2) (ख) के उपखंड (ii) का अनुपालन (अर्थात् अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारी ने भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है)

(क) खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 7 के उपबंधों का अनुपालन (भूमीक्षण अनुज्ञापत्र धारकों के लिए लागू)

उपनियम / खंड	शर्तें	अनुपालन	टिप्पणियां
7 (i)	दो वर्ष पूरे होने के पश्चात और तीन वर्ष पूरे होने के पश्चात क्षेत्र का आवधिक त्याग		
7 (ii)	अनुदान आदेश में विनिर्दिष्ट न्यूनतम व्यय प्रतिबद्धता और विशिष्ट वास्तविक लक्ष्यों का पालन		
7 (iii)	राज्य सरकार, जीएसआई और आईबीएम को सभी डेटा उपलब्ध कराना		
7 (v)	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र धारक द्वारा खातों का रख-रखाव		
7 (vi)	राज्य सरकार को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना (जिस अवधि से वह संबंधित है, उसकी समाप्ति के तीन मास के भीतर)		
7 (xi)	प्रत्येक वर्ष अनुज्ञापत्र शुल्क का संदाय		
7 (2)	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र में ऐसी अन्य शर्तें अंतर्विष्ट हो सकती हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाई जा सकती हैं		

IndiaCode

7 (3)	राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अनुज्ञापत्र में शर्तें लगा सकती है जिन्हें वह खनिज विकास के हित में आवश्यक समझे		

(ख) खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 14, 16 और 18 के उपबंधों का अनुपालन (पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए लागू)

नियम/ उपनियम /खंड	**शर्तें**	**अनुपालन**	**टिप्पणियां**
14(1)(i)	प्रत्येक वर्ष या वर्ष के किसी भाग में पूर्वेक्षण शुल्क का संदाय		
16(1)	राज्य सरकार को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना (जिस अवधि से वह संबंधित है, उसकी समाप्ति के तीन मास के भीतर)		
16(2)	राज्य सरकार को पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करना (अनुज्ञप्ति की समाप्ति या परित्याग या समाप्ति के तीन मास के भीतर)		
18	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा लेखाओं का रख-रखाव		

(ग) एमसीडीआर, 1988 के उपबंधों का अनुपालन: भूमीक्षण अनुज्ञापत्र और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए लागू

नियम और प्रावधान	**नियम के अनुसार प्रस्तुत करने की देय तारीख**	**आईबीएममें प्राप्ति की तारीख**	**टिप्पणी**
नियम 3क/4: भूमीक्षण योजना/पूर्वेक्षण योजना	निष्पादन की तारीख से 60 दिनों के भीतर।		
नियम 3ख/5: भूमीक्षण योजना में उपांतरण/पूर्वेक्षण योजना में उपांतरण	अपेक्षानुसार		
नियम 3घ/7: भूमीक्षण /पूर्वेक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ होने की सूचना	भूमीक्षण संक्रियाओं के प्रारंभ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर		
नियम 3ङ./8: पहले वर्ष की रिपोर्ट	निष्पादन की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर		
नियम 3ङ./8: दूसरे वर्ष की रिपोर्ट	निष्पादन की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर		
नियम3ङ./8: तीसरे वर्ष की रिपोर्ट	निष्पादन की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर		

2. धारा 10क (2)(ख) के उपखंड (iii) का अनुपालन (अर्थात अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपात्र नहीं है)

अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना।
3. धारा 10क (2) (ख) के उपखंड (iv) का अनुपालन (अर्थात अनुज्ञापत्र धारक या अनुज्ञप्ति धारी, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, की समाप्ति के पश्चात, तीन माह की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो राज्य सरकार द्वारा यथा विस्तारित, छह माह से अधिक न हो, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा, यथास्थिति, प्रदान करने के लिए आवेदन करने में विफल नहीं हुआ है)

अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना।			
द्वारा तैयार :	द्वारा जाँचा गया :		द्वारा अनुमोदित :

भाग-घ

उपाबंधों के ब्यौरे

IndiaCode

क्र.सं.	मद	उपलब्ध (हां/नहीं)	उपाबंध संख्या
1	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र आवेदन		
2	आबंटन पत्र / आशय का पत्र		
3	राज्य सरकार के साथ भूमीक्षण अनुज्ञापत्र विलेख/ समझौता		
4	प्रगतिशील अर्धवार्षिक रिपोर्ट		
5	अंतिम भूमीक्षण अनुज्ञापत्र रिपोर्ट		
6	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन		
7	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति खोज योजना		
8	आबंटन पत्र / आशय पत्र		
9	राज्य सरकार के साथ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति विलेख/ समझौता		
10	प्रगतिशील रिपोर्ट		
11	अंतिम पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति / भू वैज्ञानिक रिपोर्ट		
12	खनन पट्टे के लिए आवेदन		
13	भूमीक्षण अनुज्ञापत्र को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति / पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति को खनन पट्टे में परिवर्तित करने का आवेदन		

14	प्रत्येक वर्ष अनुज्ञापत्र शुल्क की संदाय रसीद		
15	आईटीआर ब्यौरे (खोज की अवधि के लिए)		
16	एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10क (2)(ख) के अधीन अर्हता के लिए दावेदार का स्व-प्रमाणन		
द्वारा तैयार :		द्वारा जाँचा गया :	द्वारा स्वीकृत :

[फा. सं. एम.VI-16/51/2021-खानVI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 read with the second proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 10A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Reimbursement of Exploration Expenditure Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(b) "Claim" means application submitted by the applicant for reimbursement of exploration expenditure in the Form set forth in the Schedule I;

(c) "Claimant" means the applicant of the claim who was the holder of reconnaissance permit or prospecting licence and had acquired a right for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease or a mining lease, as the case may be, under clause (b) of sub-section (2) of section 10A of the Act and whose said right had lapsed; and includes the legal representatives, lawful assignee, lawful transferee or successor by the order of a competent court, as the case may be, of such holder of reconnaissance permit or prospecting licence;

(d) "date of lapse" means the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (i.e., 28th March, 2021), when the right of the holder of reconnaissance permit or prospecting licence for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease or a mining lease, as the case may be, under clause (b) of sub-section (2) of section 10A of the Act had lapsed under the second proviso to the said clause.

(e) "Form" means Form set forth in the Schedule annexed to these rules.

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.

3. Applicability.— (1) These rules shall be applicable only to such concession holders or applicants who had acquired a right for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease or a mining lease,

as the case may be, under clause (b) of sub-section (2) of section 10A of the Act and whose said right has lapsed on the date of lapse.

CHAPTER II

CLAIM PROCESS

4. Claims for exploration expenditure.— (1) A claimant may submit a claim for reimbursement of expenditure incurred towards reconnaissance or prospecting operations to the State Government in the Form set forth in Schedule I to these rules within a period of one year from the date of commencement of these rules with an intimation to the National Mineral Exploration Trust:

Provided that in cases where the period of permit or licence had not expired before the date of lapse,—

(a) the claimant may submit the claim within a period of one year from the date of expiry of the period of permit or licence or date of commencement of these rules, whichever is later; or

(b) the claimant may submit a claim of the expenses incurred by it till the date of lapse after surrendering such permit or licence to the State Government, within the said period of one year from such surrender or date of commencement of these rules, whichever is later.

(2) The claimant shall enclose with its claim application, the following, namely:—

(a) the documents necessary to prove payments or expenditure incurred towards exploration activities undertaken, like bank statements, discharged payment slips, vouchers or invoices with acknowledgement of settlement, or receipts of payment or other such documents; and

(b) certificate of chartered accountant to the effect that the claim has been duly verified by him.

(3) The State Government shall not proceed with the claims submitted after the period specified in sub-rule (1):

Provided that the State Government may allow a further period of one year for filing a claim, if the reasons for delay were beyond the control of the claimant.

5. Verification by the State Government.— (1) On receipt of a claim application, the State Government shall verify the following, namely:—

(a) claimant was the holder of reconnaissance permit or prospecting licence who had acquired a right for obtaining a prospecting licence followed by a mining lease or a mining lease, as the case may be, under clause (b) of sub-section (2) of section 10A of the Act and whose said right has lapsed on the date of lapse; or is the legal representative, lawful assignee, lawful transferee or successor by the order of a competent court, as the case may be, of such holder of reconnaissance permit or prospecting licence; and

(b) claimant, to the satisfaction of the State Government, has—

i) undertaken reconnaissance operations or prospecting operations, as the case may be, to establish the existence of mineral contents in such land in accordance with the parameters as laid down by the Central Government in this behalf;

ii) not committed any breach of the terms and conditions of the reconnaissance permit or the prospecting licence;

iii) not become ineligible under the provisions of the Act and rules made thereunder; and

iv) not failed to apply for grant of prospecting licence or mining lease, as the case may be, within a period of three months after the expiry of reconnaissance permit or prospecting licence, as the case may be, or within such further period not exceeding six months as may be extended by the State Government:

Provided that in case where the period of permit or licence had not expired before the date of lapse and the claimant has submitted the claim after the expiry of permit or licence under clause (a) of the proviso to sub-rule (1) of rule 4, the condition specified in clause (iv) shall not be applicable:

Provided further that in case where the period of permit or licence had not expired before the date of lapse and the claimant has submitted claim of the expenses incurred by it till the date of lapse under clause (b) of the proviso to sub-rule (1) of rule 4, the State Government shall verify that the conditions specified in clauses (i) to (iii) were complied with by the claimant, as far as practical, till the date of lapse and the condition specified in clause (iv) shall not be applicable.

(2) After due verification in accordance with sub-rule (1), and on being satisfied that claimant had the right to obtain prospecting licence followed by mining lease or mining lease, as the case may be, before the date of lapse, the State Government may forward the claim to the Reimbursement Assessment Committee along with its annexures and other relevant documents.

6. Reimbursement Assessment Committee.— A Reimbursement Assessment Committee shall be formed at the State level comprising of the following members, namely:—

(a) Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in-charge of Mining and Geology of the State, as the Chairman;

(b) Deputy Director General (State Unit), Geological Survey of India;

(c) Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, of the area concerned;

(d) Representative of Finance Department of the State Government;

(e) Director in the Directorate or Department of Mining and Geology of the State Government (by whatever name called), as Member Secretary; and

(f) Additional Director, Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research to be co-opted in case of atomic minerals.

IndiaCode

7. Assessment of claim by the Reimbursement Assessment Committee.—(1) On receipt of claim from the State Government under rule 5, the Reimbursement Assessment Committee shall examine the work done by the permit holder or licencee, as the case may be, in accordance with the rules for the time being in force as on the date of lapse.

(2) The examination shall also include technical evaluation of the work carried out as per the reports submitted by the permit holder or licencee, as the case may be, during the course of reconnaissance or prospecting operations undertaken in accordance with the provisions of the Act and rules framed thereunder; the necessity for carrying out the work so done; reasonability of each item and adherence to applicable extant rules.

(3) The Reimbursement Assessment Committee shall assess the reimbursement amount based on the actual expenditure incurred by the claimant on the exploration activities and the said reimbursement amount shall not exceed the amount given in the approved schedule of charges of such authorities as specified by the Central Government:

Provided that for special studies not covered under schedule of charges, such as Aero Geophysical Survey or the like, the Reimbursement Assessment Committee may recommend appropriate reimbursement based on similar work undertaken by the Geological Survey of India or the Mineral Exploration Corporation Limited or any other Government agency.

(4) The Reimbursement Assessment Committee may seek clarification or additional information from the claimant regarding its claim, if required and shall give the claimant a reasonable opportunity of being heard in case the amount claimed is reduced or rejected by the Committee in its assessment.

(5) Simple interest shall be added in the amount assessed by the Committee at the rate of six per cent. per annum from the date of submission of application for prospecting licence or mining lease, as the case may be, till date of commencement of these rules.

(6) The Reimbursement Assessment Committee shall forward to the State Government its assessment report specifying the reimbursement amount payable to the Claimant as assessed by it including the interest calculated under sub-section (5).

CHAPTER III

PAYMENT OF REIMBURSEMENT AND RECOUPMENT

8. Reimbursement.— (1) On receipt of assessment report from the Reimbursement Assessment Committee, the State Government shall forward the report along with its recommendations on the same to the National Mineral Exploration Trust established under section 9C of the Act.

(2) The entire process of verification of the claim by State Government under rule 5, assessment by Reimbursement Assessment Committee under rule 7 and forwarding of approved assessment report by the State Government to the Trust under sub-rule (1) shall be completed within a period of three months from the date of receipt of the claim under rule 4.

(3) The Technical-cum-Cost Committee of the National Mineral Exploration Trust shall verify whether reimbursement amount assessed by the Reimbursement Assessment Committee is in accordance with sub-rule (3) of rule 7 and finalise the reimbursement amount payable with such modification as may be required:

Provided that the eligibility of the claimant as verified by the State Government under rule 5 shall be final.

(4) The National Mineral Exploration Trust may, after such verification, release the finalised amount to be reimbursed along with the interest calculated in accordance with sub-rule (5) of rule 7, in favour of the Director in the Directorate or Department of Mining and Geology of the State Government (by whatever name called) of the State Government within three months from the receipt of assessment report from the State Government, subject to availability of fund with the Trust.

(5) The Director in the Directorate or Department of Mining and Geology of the State Government (by whatever name called) shall further release the finalised amount to the claimant within one month from the receipt of the amount from the National Mineral Exploration Trust.

9. Recoupment.— (1) Notwithstanding the pendency of any claim in respect of any area, the State Government shall process for grant of mineral concessions in respect of such area in accordance with clause (d) of sub-section (2) of section 10A of the Act and the rules framed thereunder.

(2) In case of auction of composite licence or mining lease in respect of the area covered under clause (b) of sub-section (2) of section 10 of the Act where—

(i) notice inviting tender is issued after the date of commencement of these rules; and

(ii) notice inviting tender has been issued but the last date of submission of bids is falling after the date of commencement of these rules,

the following conditions shall be considered part of the auction conditions specified in the tender document, namely:—

(a) the preferred bidder shall deposit the amount reimbursed or to be reimbursed towards exploration expenditure along with the first instalment of upfront payment or, as the case may be, performance security to the State Government, if the amount has been finalised by the Technical-cum-Cost Committee of the National Mineral Exploration Trust; or

(b) the preferred bidder shall give an undertaking, in writing, to the State Government to deposit the amount to be reimbursed towards exploration expenditure with the State Government within one month of its finalisation by the Technical-cum-Cost Committee of the National Mineral Exploration Trust, if the amount is yet to be finalised;

(c) the preferred bidder shall also give an undertaking, in writing, to furnish such additional amount to be reimbursed towards exploration expenditure, which may be modified or amended by the Revisionary Authority; and

(3) In case of non-compliance of the conditions specified in sub-rule (2), the State Government shall take action for forfeiture of first instalment of upfront payment or performance security, as the case may be, and any other action in accordance with the Mineral (Auction) Rules, 2015:

Provided that in respect of the atomic minerals where grade of such mineral is equal to or above the threshold value as specified by the Central Government in Schedule A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the conditions mentioned in sub-rule (2) shall be specified as pre-conditions for grant of mineral concession.

(4) On receipt of the amount reimbursed or to be reimbursed towards exploration expenditure from the preferred bidder as specified in sub-rule (2), the State Government shall deposit the same in the National Mineral Exploration Trust Fund, before signing the lease deed or within one month of its receipt, whichever is later.

(5) In case where auction has concluded or the last date of submission of bids is over before the date of commencement of these rules, the State Government shall deposit the amount reimbursed or to be reimbursed towards exploration expenditure under these rules in the National Mineral Exploration Trust Fund from the applicable amount (auction premium) deposited by the lessee under sub-rule (2) of rule 13 of the Mineral (Auction) Rules, 2015.

(6) The National Mineral Exploration Trust may request for additional grants from the Central Government in the Ministry of Mines for disbursal of reimbursement under these rules.

(7) The State Government shall hand over to the preferred bidder the reports along with other proofs of exploration like preserved core, litho graphs, core photographs, drill log-book and the like, if available or any geological study report of the area and other such documents submitted by the claimant.

10. Revision.— Any person aggrieved by an assessment, verification or order made by the State Government or any authority thereunder, or the Reimbursement Assessment Committee or the Technical-cum-Cost Committee of the National Mineral Exploration Trust may apply to the Revisionary Authority of the Central Government for revision of the same under section 30 of the Act.

SCHEDULE I

Form for Submission of Claim

[*See* rule 4(1)]

	PART-A **GENERAL INFORMATION**	
Sl. No.	**Item Detail**	**Particulars**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Type of Mineral Concession: Reconnaissance Permit / Prospecting Licence	
2A	Name of Holder of the Mineral Concession	
	Legal Status of Claimant (Power of Attorney/Affidavit/Registered Deed)	
	(a) Postal Address:	
	(b) Telephone Number (Office):	
	(c) Fax Number (Office):	
	(d) Mobile No.:	
	(e)Telephone Number (Residence):	
	(f) E-Mail Id:	
2B	Entity Details	
	Name	

	Pan Number	
	ITR Details (For the period of exploration)	
	Aadhar Number	
	GST/ Service Tax Number	
	TIN Number	
	Address	
	Bank details	
3A	Details of Mineral Concession	
	(a) State:	
	(b) District (s):	
	(c) Taluka (s):	
	(d) Village (s):	
	Block Name	
	Area in Ha.	
	Survey of India Toposheet Number (s):	
	Minerals	
	Block Location (Lat Long of all corner points a, b, c, d etc)	a) Lat. --- Long---; b) Lat. --- Long---;
		c) Lat. --- Long---; d) Lat. --- Long---; e) Lat. ----, Long ---
3B	Administrative Details	
	Date of issue of order for grant or issue of Letter of Intent	
	Date of execution of the Reconnaissance Permit/ Prospecting Licence	
	Period of the Reconnaissance Permit/Prospecting Licence	From:
		To:
	Date of Renewal of the Reconnaissance Permit / Prospecting Licence if any and period	From:
		To:
	Date of Final Reconnaissance Permit / Prospecting Licence Report Submission	
	Resource Estimated with Grade & Tonnage	
	Category of Resource (as per UNFC)	
	Recommendation by Agency	
	Whether an application for Grant of Prospecting Licence or mining lease to a holder of a Reconnaissance Permit or	

IndiaCode

	Prospecting Licence, as the case may be, has been submitted before the 12th January, 2015 {Compliance of sub clause (i) of Section 10A(2)(b)} Remarks	
	Printed on	
	Printed by	
	Prepared By :	Checked By : Approved By :
		NAME & SIGNATURE

Note: Provide separate Part-A for the reconnaissance operations conducted under reconnaissance permit and prospecting operations conducted under prospecting licence.

IndiaCode

PART-B

DETAILS OF EXPLORATION ACTIVITIES

Sr. No.	Activity	Unit	Proposed	Achieved	Unit Cost	Actual Expenditure incurred along with documentary proof	Reference/ Page No in RP/ PL* Report	Remarks
1	Areogeophysical Studies							
	(a) Aero Gravity							
	(b) Aero Magnetic							
	(c) Aero Magnetic (High Resolution)							
	(d) Aero Electromagnetic (AEM)							
2	Remote Sensing Studies							
	(a)							
	(b)							
	(c)							
	(d)							
3	Seismic Surveys							
4	2D Seismic Reflection survey							
5	3D Seismic Reflection Survey							
6	DSRS Surveys							
7	GPR Surveys							
8	Topographical Survey	Scale:						

Sr. No.	Activity	Unit	Proposed	Achieved	Unit Cost	Actual Expenditure incurred along with documentary proof	Reference/ Page No in RP/ PL* Report	Remarks
		Area Covered (Sq Km/Hectare)						
9	Geological Mapping	Scale:						
		Area Covered (Sq Km/Hectare)						
10	Surface/ Geochemical Sampling	Area Covered (Sq Km/Hectare)						
	(a) Bed Rock							
	(b) Soil							
	(c) Stream Sediment							
	(d) Channel Sample							
	(e) Any Others							
11	Pitting	Nos:						
		Excavation: CBM						
		Samples						
12	Trenching	Nos:						
		Excavation: CBM						
		Samples						
13	Surface Geophysical Works							
	Type of Survey							
	(a) Gravity Method							
	(b) Magnetic Method							
	(c) Self-Potential Method							
	(d) Induced Polarization Method							
	(e) Electrical Resistivity Method							
	(f) Resistivity Profiling/Imaging							
	(g) Electro Magnetic Survey							
	(h) Magneto-Telluric (MT) Surveys							
	(I) Any Other							
14	Drilling							

IndiaCode

Sr. No.	Activity	Unit	Proposed	Achieved	Unit Cost	Actual Expenditure incurred along with documentary proof	Reference/ Page No in RP/ PL* Report	Remarks
	(a) Core	Mt.						
	(b) Non Core	Mt.						
15	Geophysical Logging							
	(a) Base Log							
	(b) SP							
	(c) Resistivity							
	(d) Dual Density							
	(e) Gamma-Gamma							
	(f) Neutron							
	(g) Caliper							
	(h) Natural Gamma							
	(i) SPR							
	(j) Focused Resistivity							
	(k) Sonic							
	(l) Temperature & Fluid Conductivity							
	(m) Deviation							
	(n) HR Acoustic Televiewer (In Borehole)							
	(o) Spectral Gamma (In Borehole)							
	(p) I.P. (In Borehole)							
	(q) Magnetic Susceptibility (In Borehole)							
	(r) Shallow Hole Temperature							
	(s) Borehole Geophysical Logging							
16	Chemical Analysis							
	(a) Wet Chemical Analysis							
	(b) AAS method							
	(c) ICP-MS/OES method							
	(d) XRF technique							
	(e) Any other method							
17	Petrological Studies	-						
	(a) Thin section of rock							
	(b) Polished Section							
	(c) Heavy mineral separation by							

IndiaCode

Sr. No.	Activity	Unit	Proposed	Achieved	Unit Cost	Actual Expenditure incurred along with documentary proof	Reference/ Page No in RP/ PL* Report	Remarks
	liquid							
	(d) Separation of heavy minerals from stream sediment samples							
	(e) Mineralogical studies of Beach Sand Minerals (BSM) sample							
	(f) Any other							
18	EPMA / SEM Studies							
19	XRD Analysis for Identification of Minerals							
20	Sample for Beneficiation Study	Nos						
21	Geotechnical Studies							
22	Report Preparation							
23	Resources Established if any with quantity, grade & category							
24	In case of application was made for grant of mining lease then resources established under G2 Level and whether a pre-feasibility study report establishing reserves have been submitted to the State Government or not.							
25	Any other that the holder may wish to specify							
	Prepared By :			Checked By :			Approved By :	

IndiaCode

Note: Provide separate Part-B for the reconnaissance operations conducted under reconnaissance permit and prospecting operations conducted under prospecting licence.

PART-C

COMPLIANCE DETAILS

1. Compliance of Sub Clause (ii) of Section 10A (2) (b) (i.e. the permit holder or licencee has not committed any breach of the terms and conditions of the Reconnaissance Permit or the Prospecting Licence)

(a) Compliance of Provisions of Rule 7 of Mineral Concession Rules, 1960 (Applicable for Reconnaissance Permit Holders)

Sub-Rule / Clause	Conditions	Compliance	Remarks

7 (i)	Periodic Relinquishment of area after the completion of two years and after the completion of three years		
7 (ii)	Adherence to minimum expenditure commitment and specific physical targets specified in the grant order		
7 (iii)	Making available all data to the State Government, GSI & IBM		
7 (v)	Maintenance of accounts by the Reconnaissance Permit holder		
7 (vi)	Submission of six monthly report to the state Government (within three month of the close of the period to which it relates)		
7 (xi)	Payment of permit fees each year		
7 (2)	Reconnaissance Permit may contain such other conditions as may be imposed by the Central Government		
7 (3)	State Government may with the approval of the Central Government may impose conditions in the permit as it may think necessary in the interest of mineral development		

IndiaCode

(b) Compliance of Provisions of Rule 14, 16 & 18 of Mineral Concession Rules, 1960 (Applicable for Prospecting Licence Holders)

Rule/Sub-Rule/ Clause	**Conditions**	**Compliance**	**Remarks**
14(1)(i)	Payment of Prospecting Fee each year or part of the year		
16(1)	Submission of six monthly report to the State Government (within three month of the close of the period to which it relates)		
16(2)	Submission of full report to the State Government (within three month of the expiry or abandonment or termination of		

	the licence)		
18	Maintenance of accounts by the Prospecting Licence holder		

(c) Compliance of Provisions MCDR, 1988: Applicable to both Reconnaissance Permit and Prospecting Licence Holders

Rule and Provision	Due Date of Submission as per Rule	Date of Receipt in IBM	Remark
Rule 3A / 4: Scheme of Reconnaissance / Scheme of Prospecting	Within 60 days from the date of execution.		
Rule 3B/5: Modification in Scheme of Reconnaissance / Modification in Scheme of Prospecting	As per requirement		
Rule 3D/7: Notice of Commencement of Reconnaissance / Prospecting Operations	Within 15 days from the date of commencement of reconnaissance operations		
Rule 3E/8: First Year Report	Within 30 days after expiry of every year from the date of execution		
Rule 3E/8: Second Year Report	Within 30 days after expiry of every year from the date of execution		
Rule 3E/8: Third Year Report	Within 30 days after expiry of every year from the date of execution		

2. Compliance of Sub-Clause (iii) of Section 10A (2)(b) (i.e. the permit holder or licencee has not become ineligible under the provisions of this Act)

To submit an Affidavit in Compliance of Section 5(1) of the Act.

3. Compliance of Sub-Clause (iv) of Section 10A (2)(b) (i.e. the permit holder or licencee has not failed to apply for grant of prospecting licence or mining lease, as the case may be, within a period of three months after the expiry of reconnaissance permit or prospecting licence, as the case may be, or within such further period not exceeding six months as may be extended by the State Government)

IndiaCode

To submit an affidavit in compliance of Section 5 (1) of the Act.			
Prepared By :	Checked By :		Approved By :

PART-D

DETAILS OF ANNEXURES

Sl. No.	Item	Available (Yes/No)	Annexure No
1	Reconnaissance Permit Application		
2	Allocation Letter / Letter of Intent		
3	Reconnaissance Permit Deed / Agreement with State Govt		
4	Progressive Half Yearly Reports		
5	Final Reconnaissance Permit Report		
6	Prospecting Licence Application		
7	Prospecting Licence Exploration Scheme		
8	Allocation Letter / Letter of Intent		
9	Prospecting Licence Deed / Agreement with State Govt		
10	Progressive Reports		
11	Final Prospecting Licence / Geological Report		
12	Application for Mining Lease		
13	Application of Converting Reconnaissance Permit to Prospecting Licence / Prospecting Licence to Mining Lease		
14	Payment Receipt of Permit Fee each year		
15	ITR Details (For the period of exploration)		
16	Self-Certification of Claimant for Qualifying under Section 10A (2)(b) of the MMDR Act, 1957		
Prepared By :	Checked By :		Approved By :

IndiaCode

[F. No. M.VI-16/51/2021-Mines VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.04 16:12:45 +05'30'